# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
## राजस्व लोक अदालत कैम्प साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर

### पीठासीन अधिकारीः– श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं – 03/2018
दायर तिथि– 05.01.2018
तारीख फैसला– 08.06.2018

**वादी–**
1– भुराराम पुत्र जेठारामजी आयु 60 वर्ष जाति देवासी निवासी साण्डेराव तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान) ।

**बनामः**

**प्रतिवादी–**
1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली(राज0)।

### वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट, 1956

### –ःनिर्णयः–

वाद पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

(1) वादी द्वारा यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा साण्डेराव पटवार क्षेत्र साण्डेराव सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 1812/8 रकबा 3.74 हैक्टर खातेदारी पुश्तैनी व नियमन सुदा कब्जे काश्त की आयी हुई स्थित है जिस पर वादी के पूर्वजों काल से वादी का कब्जाकाश्त चला रहा है परन्तु आज तक वादी को खातेदार दर्ज नहीं किया है । वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा न. 1812/8 पर पिछले कई वर्षो से काबित होकर आरक्षण शुल्क जमा करवाते हुए काश्त करते आ रहे हैं। जिससे अब वादी गैर खातेदार न होकर खातेदार हो चुका हैं।

(2) वादी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार विधि अनुसार निर्धारित समयावधि में प्राप्त हो जाने पर भी अब भी राजस्व अभिलेखों में गैर खातेदारी ही अंकित किया जा रहा है जो सही नहीं है।

(3) वादी ने प्रतिवादी से अभिलेख संशोधन किये जाने हेतु समय समय पर निवेदन भी किया परन्तु राजस्व अभिलेखों को विधि अनुसार संशोधित नहीं करके वादी को गैर खातेदारी ही अंकित किया जा रहा है।

(4) राजस्व अभिलेख आदिनांक संशोधित नहीं किये जाने से वादी को जो अधिकार खातेदार के रूप में प्राप्त हो चुके हैं उनकी पुष्टि राजस्व अभिलेख द्वारा किया जाना आवश्यक है जिससे वादी अपने खातेदारी अधिकारों का प्रयोग कर सके।

अतः परिणामतः वादीगण का कथित वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के सरहद मौजा साण्डेराव तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 1812/8 रकबा 3.74 हैक्टर पर वादी राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदार दर्ज है, ग्राम साण्डेराव नगरपालिका सुमेरपुर के पैराफेरी क्षेत्र में आने से एवं वादी का वाद से संबंधित खातेदारी घोषणात्मक प्रथमतः परिपोषणिय व चलने योग्य नहीं होने से इसे खारिज किया जाता है।

वादी को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक **08.06.2018** को राजस्व लोक अदालत साण्डेराव में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner